न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-46/2017

1- पोकर पुत्र गोरधन
2- रामजीलाल पुत्र गोरधन
3- जगदीश पुत्र गोरधन
4- गैन्दी देवी पत्नी गोरधन

जाति बलाई निवासी रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

--अपीलान्टस्--

--बनाम---

1- क्षेत्रीय वन अधिकारी रैंज पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।
2- राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
9-6-2017 द्वारा सहायक
कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री बजरंगसिंह शेखावत एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री विधाधर सूण्डा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार के हैं कि प्रार्थीगण/अपीलांटस् ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1153 तन ग्राम रायपुर पाटन राजस्व रेकार्ड में किस्म सिवायचक दर्ज है । जिसमे से प्रार्थीगण के पिता/पति गोरधन को भूमिहिन व गरीब व्यक्ति होने के कारण 1.01 हैक्टर भूमि का आवटन दिनांक 24-12-75 को किया गया । जिसके ख0नं0 1153/11 गोरधन के नाम अलग से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गये । जिसके नये सैटलमेन्ट में खसरा नं0-1511 रकबा 1.01 हैक्टर दर्ज

हो गये । उक्त आराजी पर प्रार्थीगण एवं गोरधन का एक पुत्र रामगोपाल पुत्र गोरधन अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं । इस आराजी पर अन्य किसी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।भूमि आंवटन होने के बाद तहसीलदार ने नाप जोख कर 1.01 हैक्टर भूमि पर अपीलान्टस् के पूर्वज गोरधन का कब्जा करवा दिया । किन्तु इस आवटन आराजी का नक्शे में तरमीम नहीं की गई ।प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को काफी मेहनत से समतल एवं उपजाऊ बनाई है ।सैटलमेन्ट ने गलत तरमीम कर दी जिससे अप्रार्थी संख्या-1 प्रार्थीगण की आराजी पर जबरन पीलर बनाकर तारबन्दी करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है ।प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी सं0-1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की आराजी पर जबरन पीलर गाडकर तारबन्दी ना करें, ना ही अपने अधीनस्थत कर्मचारियों से ऐसा करवाये, ना ही इस प्रकार का कोई कृत्य करे जिससे प्रार्थीगण के हक हकूकों पर विपरित असर नहीं पडें । अदालत मातहत ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है विवादित आराजी अपीलान्ट के पिता/पति गोरधन को भूमिहिन एवं गरीब होने पर आंवटन नियमों के तहत आवंटित की गई । आंवटन के बाद तहसीलदार ने गोरधन को मौके पर जांच कर कब्जा सम्भला दिया किन्तु राजस्व अधिकारियों ने नक्शे में तरमीम नहीं की । जबकि इस आराजी पर अपीलान्टस् अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं ।उक्त आराजी आंवटन के बाद से ही अपीलान्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है ।अपीलान्टस् को उक्त आराजी से पहले भी वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी गलत तरीके से बेदखल करने पर आमादा हुये । तब अपीलान्ट के पिता/पति गोरधन ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश जिस पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर ने दिनांक 15-9-1971 को फैसला किया जिसमें उक्त आराजी

को वन विभाग की न होना बताया था तथा गोरधन की भूमि ही बताया था । इसके बाद भी रेस्पोडेन्ट नाजायज तरीके से बेदखल करने पर आमादा होने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी को अपीलान्ट को आंवटन नियमों की पालना में आंवटन की जाकर तहसीलदार द्वारा मौके पर जांच कर कब्जा दिया गया किन्तु राजस्व अधिकारियों ने आंवटन की गई आराजी को नक्शे में तरमीम नहीं किया जिससे सैटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी आधार के तरमीम कर दी । जबकि आंवटन के बाद उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड गौरधन के नाम दर्ज किया केवल नक्शे मे गलत तरमीम को आधार मनकर अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है । निर्णय दिनांक 15-9-71 में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने उक्त आराजी को वन विभाग की न मानकर गोरधन की खाते कब्जे की मानकर आदेश पारित किया है ।अदालत मातहत ने इस निर्णय पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान रेस्पोडेन्ट ने बहस मे अपीलान्ट के कथनो को नकारते हुये अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि विज्ञप्ति दिनांक 9-4-1964 से आराजी ख0नं0 1153/1 रकबा 359 बीघा 19 बिस्वा को रक्षित वन भूमि घोषित की गई है । जिसका राजस्व रेकार्ड वनविभाग के नाम बना हुआ है ।अपीलान्ट केवल वन विभाग की आराजी पर अतिक्रमण करने पर आमादा है । उक्त आराजी वन विभाग की है जिनको सुनवाई का क्षेत्राधिकार

पेश्र की जिसमें विवादित आराजी वन विभाग की खातेदारी में दर्ज है । जिसको सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी को नहीं है । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दूओं पर विवचन कर अपना निर्णय दिया है जिस में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है ।अपील खारिज की जावे बहस के समर्थन में माननीय सुप्रिम कोर्ट की अपील संख्या-4099/2015 दिनांक 15-5-2015, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल दिनांक 23-2-2015 पेश्र की है जिसमें माननीय न्यायालय को वन विभाग की आराजी के बाबत सुनवाई का अधिकार नहीं है । अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0-2056 से 2059 में आराजी ख0नं0 1153/1। रकबा 1.01 हैक्टर की खातेदारी गोरधन पुत्र चन्द्रा बलाई के नाम दर्ज है । जमाबन्दी सं0-2071 से 2074 में आराजी 151। रकबा 1.01 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्टस् एवं रामगोपाल के गोरधन के फौत होने पर विरासतन दर्ज हुई है । आवंटन आदेश दिनांक 24-12-75 में ख0नं0 1153 में से 4 बीघा भूमि का आंवटल गोरधन पुत्र चन्द्र बलाई को किया गया है। आवंटन के आधार पर नामा0 सं0408 आराजी ख0नं0 1153 रकबा 4 बीघा का गोरधन पुत्र चन्द्रा के नाम स्वीकार किया गया है ।पर्चा नोटिस गोरधन के नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी सं0-2071 से 2074 वन विभाग की खातेदारी का है । निर्णय न्यायालय सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर दिनांक 15-9-71 में में वन विभाग ने प्रार्थी की आराजी को वन विभाग की आराजी की सीमा के पास बताया है तथा इस आराजी को वन सीमा में लिया जाना उचित नहीं मानकर इस आराजी को वन खण्ड से पृथक किये जाने के आदेश दिये है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पूर्वज गोरधन के नाम आंवटित की है जिसका आवंटन के बाद नामान्तरकरण दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज हुआ है ।रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी की विज्ञप्त दिनांक 9-4-1964 को वन विभाग के नाम ख0नं0 1153/1 रकबा 359 बीघा 19 बिस्वा रक्षित वन भूमि घोषित की है। जिसका रकबा

डिमार्क कैशान लाईन के बिल्कुल पास में बताई है । इस आराजी को वन विभाग की सीमा से पृथक करने में वन विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की और आदेश में उक्त आराजी को वन सीमा में लेना उचित नही मानकर आदेश दिया है ।अर्थात 15-9-71 में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने अपीलान्ट का कब्जा काश्त माना है जिससे अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन है ।अपीलान्ट का विवादित आराजी से बेदखल किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्ट को ही है । अलाटमेन्ट कमेटी का आदेश आंवटन नियमों के अनुसार है ।अतः हम यह उचित मानते हैं कि प्रकरण में दावा निर्णित होने तक विवादित आराजी की मौका की यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना का निर्णय दि० 9-6-2017 खारिज किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जाता है कि वह मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी के मौका की यथास्थिति बनाये रखे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.1.2018 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर